न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा ।

पीठासीन अधिकारी-अनिल कुमार-XI, उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP01819

राज्य– बनाम– वेदराम आदि

मु०नं०–3440/2012
मु०अ०सं०–715/2010
अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.द.स.
थाना– कोतवाली नगर, जनपद–एटा।

27-05 -2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत तिथि पर उभय पक्ष को उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर पूर्व में सुना गया।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप मे कथन किया गया है कि–उक्त मामले में वादी द्वारा गलत तरीके से प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त वेदराम पुत्र नेकसू की मृत्यु हो चुकी है। उसके विरुद्ध भी थाना द्वारा चार्जशीट लगा दी गयी है जो गलत तरीके से लगायी गयी है। वादी द्वारा एक सिविल वाद बैनामा निरस्तीकरण हेतु प्रार्थीगण के विरुद्ध मा० न्यायालय ए.सी.जे.एम. कक्ष संख्या–18 मूलवाद संख्या–0544/2010 गोपीचन्द्र बनाम वेदराम आदि के नाम से विचाराधीन चल रहा है जिसमें अग्रिम दिनांक 16.01.2014 नियत है। वादी द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध एफआईआर थाना सकीट में दिनांक 07.06.2010 को पंजीकृत कराई गई जिसकी विवेचना कोतवाली नगर से करायी गई जो एक वादी द्वारा षड़यंत्र रचते हुए प्रार्थीगम को झूंठा फंसा दिया गया है। उक्त मामला आपराधिक मामलान होकर सिविल मामला है जो न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है बैनामा फर्जी या असली सिविल न्याायलय तय करेगा जब तक सिविल न्यायालय तय नहीं करेगा तब तक बैनामा फर्जी नहीं कहा जा सकता। प्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण में को.नगर द्वारा गलत तरीके से विवेचना कर मा. न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को तलब किया गया तब जानकारी हुई तब प्रार्थीगण उक्त प्रकरण से संबंधित अपने तथ्य माननीय उच्च न्यायालय में श्री उपेन्द्र उपाध्याय एडवोकेट के माध्यम से सही तथ्य रखे तब मा. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जिस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न की जा रही है। सही बात इस प्रकार है कि वादी के विरुद्ध एक मुकदमा सत्र न्यायाधीश एटा के यहां एसटी संख्या–693/1994 राज्य बनाम गोपी आदि धारा 147, 323, 304 ता०हि० के तहत सजा हुई थी इसका बदला लेने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है जिस आधार पर प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। प्रार्थीगण को उन्मोचित किया जाना अति आवश्यक है। वादी द्वारा विवादित प्लाट बैनामा के आधार पर अपना बताता है जो वादी ने उक्त विवादित जगह गुंडागर्दी के बल पर एक भगवत सहाय पुत्र अम्बा सहाय की जवरिया फर्जी तरीके से हड़प ली जिसकी आड़ में प्रार्थीगण का पैत्रिक बुजुर्गों की सम्पत्ति जिसमें से प्रार्थीगण अपने बुजुर्गों की पैत्रिक सम्पत्ति का सही बैनामा ज्ञानश्री पत्नी भूमिराज नि. नगला धुली मजरा हरीकिशनपुर थाना सकीट जिला एटा के हक में दिनांक 13.05.2010 को किया जिसके आधार पर जानकी ने अपनी नीव भरवा दी जो सिविल वाद में रिपोर्ट कमीशन कागज संख्या–13 सी2 से साबित होती है। इसमें फर्जी कहा सिद्ध होती है। इस आधार पर पर भी प्रार्थीगण को डिस्चार्ज किया जा सकता है। सत्य बात तो इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपनी ही भूमि प्लाट का बैनामा वहैसियत मालिक, काविज दिनांक– 13.05.2010 को श्रीमती ज्ञानश्री के हक में रूवरू गवाहन तहरीर व तकमील रजिस्ट्री दफ्तर एटा में किया। हरगिज वादी की जगह का विक्रय नहीं किया है। इस मुकदमा की आड़ में प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र किया गया प्लाट ज्ञानश्री प्लाट के कुछ भाग पर गुण्डई के बल पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अगर प्रार्थीगण ने अपनी निजी जगह का बैनामा श्रीमती ज्ञानश्री के हक में फर्जी तरीके से किया होता तो वादीगण उपरोक्त पंजीकृत एफ.आई.आर. में क्रेता श्रीमती ज्ञानश्री का भी नाम लिखवाया जा सकता था। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी ने गलत तरीके से उक्त प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकद्दमा पंजीकृत करा दिया है जो कि खारिज होने योग्य है तथा प्रार्थीगण पूरे तरीके से कानूनी तौर पर उन्मोचित होने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को उन्मोचित किया जाये।

उक्त पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा घोर उपहति करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण वेदराम, रामायन व हेमसिंह के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०–715/2010 में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें बाद विवेचना सम्बन्धित विवेचक द्वारा अभियुक्तगण वेदराम, रामायन व हेमसिंह के विरूद्ध धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.द.स. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14–12–2012 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPET040032152012/truecopy/order-1.pdf

पत्रावली पर वर्तमान में वही साक्ष्य उपलब्ध है, जो आरोप पत्र प्रेषित किए जाते समय आरोप पत्र के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रेषित किया गया था, केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का कथन किया गया है वह समस्त तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है जिनके संबंध में अभियोजन की ओर से भी मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि उक्त समस्त तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है जिसके लिए समुचित स्तर पर विचारण के समय साक्ष्य संकलित किये जाने के पश्चात ही कोई पुष्ट विधिक निष्कर्ष व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध में इस स्तर पर कोई भी निष्कर्ष व्यक्त कर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित कर देना न्याय की मंशा एवं विधि विरुद्ध होगा।

अतः स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने मात्र से ही कोई भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वतः ही उन्मोचित हो जाने का अधिकार नहीं रखता है। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को तलब किया गया है तथा उक्त आदेश आज की तिथि तक किसी भी प्रवर न्यायालय द्वारा खण्डित किये जाने का कोई आदेश प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले के वास्तविक तथ्य एवं सही निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु न्यायालय के समक्ष सुसंगत साक्ष्य का आना आवश्यक है जो कि विचारण के स्तर पर ही संभव है। *मा० उच्चतम न्यायालय की विधिव्यवस्था 2009 (65) ए०सी०सी० 399 पलिन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिहं एवं अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय इला० की विधिव्यवस्था 2010 (1) जे०आईसी० पृष्ठ 33* के वादों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध मजबूत संदेह मात्र के आधार पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है जबकि प्रस्तुत मामले में विवेचना उपरान्त प्रेषित आरोप पत्र पर पर्याप्त साक्ष्य के प्रकाश मे ही अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को तलब किया गया है।

मा० उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं भारती पारिख बनाम सी०बी०आई०, 2008 सी०आर०एल० जे० 3540, स्टेट ऑफ उडीसा बनाम देवेन्द्रनाथ पधी, 2005 (51) ए0सी0सी0 209 (एस०सी० मा० तीन न्यायमूर्तियों की पीठ), स्टेट एन्टीकरप्शन ब्यूरो हैदराबाद बनाम सूर्या प्रकाशन (1999) एस०सी०सी० (कि०) 373 व मा0 उच्च न्यायालय इला० की विधि व्यवस्था सचिन सक्सेना उर्फ लकी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2008 (62) ए०सी०सी० 454 (इला०) के वादों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि उन्मोचन के समय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत मटेरियल भी ग्राहय नहीं किया जा सकता है तथा मात्र उक्त के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण तथा मा० उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों तथा प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने के आधार पर्याप्त नही है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वेदराम, रामायन व हेमसिंह को उनमोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किए जाने आरोप दिनांक **25–06–2025** को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एटा।
J.O. Code-UP 01819

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPET040032152012/truecopy/order-1.pdf